भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2086

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना

2086. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री सतीश कुमार गौतम:
श्री अनन्त नायक:
श्री आलोक शर्मा:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री बलभद्र माझी:
श्री शंकर लालवानी:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कश्यप:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री नलिन सोरेन:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री विजय बघेल:
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:
श्री हरिभाई पटेल:
श्री दिलीप शइकीया:

श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:
डॉ. भोला सिंह:
श्री अनूप संजय धोत्रे:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री दुलू महतो:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री रमेश अवस्थी:
श्री शिवमंगल सिंह तोमर:
श्री अरुण गोविल:
श्री मनोज तिवारी:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री अभिमन्यु सेठी:
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री अनिल फिरोजिया:
श्री मुकेश राजपूत:
श्री राजकुमार चाहर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' (बीबीबीपी) योजना के ग्यारह वर्ष पूरे होने पर इसकी व्यापक समीक्षा की है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार/जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस योजना की शुरुआत के बाद से जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी), बालिकाओं के नामांकन, पढ़ाई जारी रखना और शैक्षणिक परिणामों सहित प्रमुख सूचकों में दर्ज किए गए सुधारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जन्म, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, कौशल विकास और सशक्तिकरण पहलों को एकीकृत करके उक्त योजना के अंतर्गत जीवनचक्र दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत विशेष ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों के लिए किन्हीं जिलों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार का बालिकाओं की स्थिति में और सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता, जागरूकता अभियानों और संस्थागत अभिसरण को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो इसके लिए आवंटित निधियों, आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों/प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बाल लिंगानुपात (सीएसआर) तथा बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता करती है। यह योजना 22 जनवरी, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के रूप में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य भेद भाव आधारित लिंग चयन को रोकना, बालिकाओं का अस्तित्व एवं संरक्षण सुनिश्चित करना तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है।

यह योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिका के प्रति मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। 15वें वित्त आयोग की अवधि में, मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के एक घटक के रूप में बीबीबीपी का विस्तार किया गया है ताकि बहुक्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से देश के सभी जिलों को शामिल किया जा सके जिससे बुनियादी स्तर पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को बढ़ावा मिल सके। बीबीबीपी सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज एवं व्यापक पैमाने पर जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में बालिकाओं के प्रति लोगों की सोच में व्यवहारिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना है।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' एक केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के समग्र कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में सुधार दिखाई दे रहा है और यह राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2014-15 में 918 से बढ़कर 2025-26 में 929 (अनंतिम) हो गया है। शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई आंकड़ों के अनुसार, विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2014-15 में 75.51% से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 83.4% हो गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (पीसीपीएनडीटी अधिनियम) तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा (समग्र शिक्षा अभियान) की गई पहलों से क्रमशः एसआरबी तथा जीआरएल के आंकड़ों में सुधार हुआ है।

मंत्रालय की योजनाओं, जिनमें व्यापक मिशन शक्ति योजना तथा इसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घटक भी शामिल हैं, का दो बार तृतीय-पक्ष मूल्यांकन नीति आयोग के माध्यम से कराया गया है। पहला मूल्यांकन वर्ष 2020 में और दूसरा वर्ष 2025 में किया गया। इन अध्ययनों में योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता तथा निरंतरता को संतोषजनक पाया गया है।

योजना के कार्यान्वयन को और तेज करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कुल आवंटन में से एक भाग का उपयोग संपूर्ण-सरकार/समन्वय दृष्टिकोण के माध्यम से विज्ञापनों तथा मीडिया प्रचार के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए निधि का

आवंटन मिशन शक्ति दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निधि का उपयोग निम्नलिखित आवश्यकता अनुसार तरीके से करने के लिए प्राधिकृत किया गया है:

i. सीधे जिलों के माध्यम से, अथवा

ii. आंशिक रूप से जिलों के माध्यम से तथा शेष भाग की व्यवस्था/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा, अथवा

iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर जिलों की ओर से सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन हेतु 11 अक्टूबर, 2022 को एक मानकीकृत प्रचालन नियमावली जारी की गई थी। यह प्रचालन नियमावली राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, रिपोर्टिंग एवं निगरानी में शामिल व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। इस नियमावली में बालिका के संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एकजुट समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों हेतु गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रचालन नियमावली में बालिका के समग्र विकास के लिए माह-वार विशिष्ट विषयों के साथ जिला स्तर पर सुझाए गए समन्वित कार्यकलापों हेतु एक विषयगत कैलेंडर भी सम्मिलित है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं, उनके परिवारों एवं समुदायों की वर्ष भर सहभागिता सुनिश्चित करना है।

योजना की शुरुआत से जून, 2026 तक कुल 1075.37 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इस अवधि के दौरान 78,305 गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें 3.37 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
